



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 847]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 847]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

का.आ. 948(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का. आ. 2666(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तारीख 16 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पैराग्राफ 4 में, उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“परंतु यह और भी कि पैरा 1 के क्रम संख्या (xv) से (xxiv) तथा (xxv) से (xxx) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों को नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में क्रमिक पशु संगरोध तथा प्रमाणन केन्द्रों की अधिकारिता के अधीन अटारी (पंजाब), रक्सोल (बिहार), सुनौली भूमि सीमा शुल्क केन्द्र, जोगबानी (बिहार) और कांडला में स्थित समुद्री पत्तन या भूमिपत्तन, जैसे कि मामला हो, से भारत में आयात करने की अनुमति दी जाएगी।”

“परंतु यह और भी कि क्र. सं. (i) से (xxxi) तक सूचीबद्ध पशुधन उत्पाद को ऐसे पशुधन उत्पादों के आयात से संबंधित भारत सरकार की तारीख 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ 2666(अ) में विहित शर्तों के अनुसार कोच्चि, कृष्णापट्टनम, विशाखापट्टनम, और मुंड्रा के समुद्री पत्तनों या हवाई अड्डों के माध्यम से तथा अगरतला (त्रिपुरा) के भूमिपत्तन के माध्यम से आयात की अनुमति दी जाएगी तथा ऐसे आयात की चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई तथा कोलकाता के क्षेत्रीय अधिकारी या संगरोध अधिकारी ध्यान देंगे।”

[फा. सं. 102-1/2016-व्यापार]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 2666(अ) द्वारा तारीख 17 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 3112(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2017

S.O. 948(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, dated the 16th October, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), vide S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in paragraph (4), after the provision, the following provisions shall be inserted, namely:-

“Provided also that Livestock Products listed at serial numbers (xv) to (xxiv) and (xxv) to (xxx), of para 1 shall be allowed to import into India through the sea port or land port, as the case may be, located at Atari (Punjab), Raxaul (Bihar), Sunauli Land Custom Station, Jogbani (Bihar) and Kandla under the jurisdiction of respective Animal Quarantine and Certification Stations in New Delhi, Kolkata and Mumbai:

Provided also that the Livestock Products listed at serial numbers (i) to (xxxi) shall be allowed to import through seaport or airports of Kochi, Krishnapatnam, Vishakhapatnam, Mundra and land port of Agartala (Tripura) as per the conditions prescribed for import of such livestock products in the notification of Government of India, number S.O. 2666(E), dated 17th October, 2014 and such import shall be looked after by the Regional Officer or Quarantine Officer at Chennai, Hyderabad, Kolkata and Mumbai.”

[F. No. 102-1/2016-Trade]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014 and last amended vide notification number S.O. 3112(E), 30th September, 2016.